रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-72/2022/1319/22-2-2022-17(21)//2016
लखनऊ: दिनांक: 06 जून, 2022

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रि0 रिट याचिका संख्या-25468/2016 चन्द्रिका व 05 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 से आच्छादित प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी घनश्याम पाण्डेय (बन्दी संख्या-39404) पुत्र श्री ताड़कनाथ, निवासी- सरोई, थाना-भदोही, जिला-भदोही का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-411/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही के आदेश दिनांक 06.08.1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.10.2003 द्वारा सजा को यथावत रखा गया गया, उक्त बंदी की पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने, बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक होने, 24 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार सजा 27 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, भदोही के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-72/2022/1319(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, भदोही।
3- पुलिस अधीक्षक भदोही।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in